	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 05, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 27, 2023 *Asvina 05, Wednesday , Saka 1945- September 27, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 2023

जी.एस.आर.95 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ.1(9)स्था./निवियो/2018/17000 दिनांक 23.01.2019 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[एफ18(01)(04)एक्ट/निवियो/2022]
राज्यपाल के आदेश से,

एच. गुईटे,
आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 23, 2019

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) की धारा 101 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) अभिप्रेत है;

(ii) "प्रमाणपत्र" से अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(iii) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(iv) "जिला स्तर दिव्यांगता समिति" से अधिनियम की धारा 72 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तर दिव्यांगता समिति अभिप्रेत है;

(v) "राज्य आयुक्त" से अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य आयुक्त अभिप्रेत है; और

(vi) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त किये और परिभाषित नहीं किये गये, किंतु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमश: वहीं अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय-2

अधिकार और हकदारियां

3. दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य समिति.- (1) दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए राज्य स्तर समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:-

(i) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, विज्ञान और चि कित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाला कोई विख्यात व्यक्ति -अध्यक्ष;

(ii) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान -सदस्य;

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, दिव्यांगजनों में से प्रतिनिधि के रूप में पांच सदस्य या अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व कर रहे रजिस्टीकृत राज्य स्तर संगठन -सदस्य

(iv) निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान -सदस्य-सचिव।

(2) अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी किन्तु नामनिर्दिष्ट सदस्य एक और अवधि के लिए पुन: नामनिर्दिष्ट होने के पात्र होंगे।

(4) कुल सदस्यों के आधे से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(5) गैर-शासकीय सदस्य और विशेष-आमंत्रित, राज्य सरकार के ग्रुप-'ख' या समकक्ष अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते के हकदार होंगे।

(6) राज्य सरकार, समिति को ऐसे लिपिकवर्गीय और अन्य कर्मचारिवृंद, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करा सकेगी।

4. सीमित संरक्षकता.- (1) अधिनियम की धारा 72 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तर दिव्यांगता समिति, दिव्यांगजन की ओर से विधिक रूप से बाध्यकारी विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षकता की सहायता मंजूर करेगी।

(2) जिला स्तर समिति, दिव्यांगजन के लिए सीमित संरक्षकता मंजूर करने से पूर्व, स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसा दिव्यांगजन अपने स्वयं के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी विनिश्चय लेने की स्थिति में नहीं है।

(3) जिला स्तर समिति, सीमित संरक्षकता की मंजूरी से संबंधित आवेदन को, उसकी प्राप्ति की तारीख से या ऐसी सीमित संरक्षकता की आवश्यकता उसके नोटिस में आने की तारीख से 90 दिनों की कालावधि के भीतर, अधिमानत: विनिश्चित करेगी:

परन्तु ऐसी सीमित संरक्षकता की मंजूरी से पूर्व सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की सहमति भी प्राप्त की जायेगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन यथा नियुक्त सीमित संरक्षकता की विधिमान्यता, प्रारंभिक रूप से पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगी जो कि जिला स्तर समिति द्वारा आगे और बढ़ायी जा सकेगी:

परन्तु जिला स्तर समिति सीमित संरक्षकता की विधिमान्यता बढ़ाते समय उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जिसका प्रारंभिक संरक्षकता मंजूर करते समय किया गया था।

(5) ऐसी सीमित संरक्षकता की सहायता मंजूर करते समय जिला स्तर समिति, सीमित संरक्षकता के रूप में उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किये जाने के लिए निम्नलिखित योग्यता की वरीयता पर विचार करेगी:-

(क) दिव्यांगजन के माता-पिता या वयस्क संतान

(ख) निकटतम भाई या बहिन

(ग) अन्य रक्त संबंधी या संरक्षक या परिक्षेत्र का विख्यात व्यक्ति

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सरकारी/गैर-सरकारी संगठन।

(6) केवल वे व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम स.1) में, यथापरिभाषित किसी संज्ञेय अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध न किये गए हों, सीमित संरक्षक के रूप में नियुक्त किये जा सकेंगे।

(7) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त सीमित संरक्षक, दिव्यांगजन से उसकी ओर से कोई विधिक रूप से बाध्यकारी विनिश्चय लेने से पूर्व, समस्त मामलों में परामर्श करेगा।

(8) नियुक्त किया गया सीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजन की ओर से लिया गया विधिक रूप से बाध्यकारी विनिश्चय दिव्यांगजन के हित में है।

अध्याय-3
संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

5. रिक्तियों का आरक्षण.- (1) प्रत्येक स्थापन में, संवर्ग में की सीधी भर्ती की 4 प्रतिशत रिक्तियां अधिनियम की धारा 34 के अनुसार संदर्भित दिव्यांगजनों या उनके वर्ग के लिए आरक्षित रखी जायेंगी। धारा 33 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किये पदों के लिए ऐसा आरक्षण क्षैतिज आरक्षण समझा जायेगा और संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियां एक पृथक् वर्ग के रूप में रखी जायेंगी:

परन्तु जहां राज्य सरकार में किसी पद का नाम भारत सरकार में के पद से भिन्न हो या राज्य सरकार का कोई पद भारत सरकार के किसी विभाग में अस्तित्व में न हो, तो मामला राज्य सरकार में समकक्ष पद की पहचान के लिए नियम 6 के अधीन गठित समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा। समिति, प्रत्येक पद के कार्य की प्रकृति और दायित्व के आधार पर समकक्ष पद की पहचान करेगी।

(2) एक या अधिक प्रवर्गों के लिए पहचान किये गये पदों में आरक्षण,-

(क) यदि कोई पद दिव्यांगता के केवल एक प्रवर्ग के लिए उपयुक्त पहचान किया गया है, तो उस पद में आरक्षण केवल उस दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही दिया जायेगा;

(ख) ऐसे मामलों में 4 प्रतिशत आरक्षण कम नहीं किया जायेगा और पद में का कुल आरक्षण दिव्यांगता से पीड़ित उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जिनके लिए वह पहचान किया गया है;

(ग) यदि किसी मामले में कोई पद दिव्यांगताओं के दो प्रवर्गों के लिए उपयुक्त पहचान किया जाता है तो जहां तक संभव हो, आरक्षण उन प्रवर्गों के व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जायेगा।

(3) रोस्टरों का रखरखाव,-

(क) सभी स्थापन, संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण अवधारित करने/प्रभावी करने के लिए एक पृथक 100 बिन्दु का रोस्टर रजिस्टर रखेंगे।

(ख) रजिस्टर में 100 बिन्दुओं का चक्र होगा और निम्नलिखित बिन्दुओं को समाविष्ट करते हुए, 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र चार खण्डों में विभाजित होगा:

प्रथम खण्ड	बिन्दु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 25
द्वितीय खण्ड	बिन्दु संख्या 26 से बिन्दु संख्या 50
तृतीय खण्ड	बिन्दु संख्या 51 से बिन्दु संख्या 75
चतुर्थ खण्ड	बिन्दु संख्या 76 से बिन्दु संख्या 100

उपर्युक्त ब्लॉक संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए चिह्नित और आरक्षित होंगे–

धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में वर्णित संदर्भित दिव्यांगजनों के तीन प्रवर्गों में से प्रत्येक के लिए एक बिन्दु और खण्ड (घ) और (ङ) में उल्लिखित संदर्भित दिव्यांगजनों के प्रवर्गों के लिए एक बिन्दु।

(ग) सभी रिक्तियां सुसंगत रोस्टर रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेंगी जो कि स्थापन के प्रधान द्वारा रखा जायेगा।

(घ) रोस्टर के सभी 100 बिन्दुओं के पूर्ण होने के पश्चात्, 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र प्रारंभ होगा।

6. शिथिलीकरण.- (1) जहां नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि इन नियमों के अधीन आरक्षित पद के कृत्यों और कतिपय कार्यों का संपादन दिव्यांगजन द्वारा नहीं किया जा सकता है, वहां संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के नियम (5) के उप-नियम (1) में विहित आरक्षण के कार्यान्वयन से छूट के लिए, मामले को निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मामला निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग द्वारा समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति निम्नानुसार होगी :-

(क) राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले और राज्य के मामलों से संबंधित पदों के लिए,-

1	2	3
(i)	राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य।	अध्यक्ष

(ii)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी-सचिव।	सदस्य
(iii)	आयुक्त, दिव्यांगता, राजस्थान।	सदस्य
(iv)	कार्मिक विभाग का प्रभारी सचिव या उसका प्रतिनिधि जो उप-सचिव की रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य
(v)	आयुक्त, नियोजन विभाग	सदस्य
(vi)	प्रभारी-सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग; और	सदस्य
(vii)	प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	सदस्य
(viii)	जहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो, संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रभारी-सचिव और अन्य मामलों में सुसंगत सेवा नियमों में यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी।	सदस्य-सचिव

(ख) राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आने वाले पदों के लिए,-

(i)	प्रभारी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
(ii)	आयुक्त, दिव्यांगता, राजस्थान	सदस्य
(iii)	प्रभारी-सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
(iv)	आयुक्त, नियोजन विभाग, राजस्थान	सदस्य
(v)	प्रभारी-सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान	सदस्य
(vi)	प्राचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	सदस्य
(vii)	संबधित नियुक्ति प्राधिकारी	सदस्य-सचिव

(3) उप-नियम (2) के अधीन गठित समिति, छूट के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् या तो इन पदों के लिए दिव्यांगजनों के लिए नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन विहित आरक्षण के क्रियान्वयन से पूर्ण छूट अनुज्ञात करेगी या नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन विहित आरक्षण को पदों के ऐसे अन्य प्रवर्ग को अन्तरित करेगी जहां ऐसी दिव्यांगता बाधक न हो।

(4) दिव्यांगजनों के किसी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त पहचान किये गये किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का चयन करते समय, यदि ऐसी दिव्यांगता वाले व्यक्ति और दिव्यांगता के बिना वाले व्यक्ति के बीच अन्य बातें समान हों तो दिव्यांगजन को उनके लिए विहित आरक्षण से अधिक होने पर भी वरीयता दी जायेगी।

अध्याय-4

संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए, आवेदन.- (1) निदेशक, विशेष योग्यजन, अधिनियम की धारा 49 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) दिव्यांगजनों के लिए किसी संस्था को स्थापित करने या चलाने का इच्छुक व्यक्ति राज्य द्वारा नियुक्त निदेशक, विशेष योग्यजन को प्ररूप-क में आवेदन कर सकेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित के साथ होगा,-

(क) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का दस्तावेजी साक्ष्य;

(ख) संस्था को शासित करने वाला संविधान या उप-विधियां या विनियम;

(ग) आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती अंतिम तीन वर्षों में प्राप्त अनुदानों के संपरीक्षा कथन और ब्यौरे;

(घ) संस्था में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या के साथ-साथ उनके अपने-अपने कर्त्तव्यों से संबंधित कथन;

(ङ) संस्था में नियोजित वृत्तिकों की संख्या और वृत्तिकों की अर्हताओं से संबंधित कथन;

(च) संस्था के समस्त पदाधिकारियों के निवास के सबूत; और

(छ) जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए सिफारिश।

(4) उप-नियम (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन संबंधित संस्था के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-

(क) संस्था, भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आवेदन के साथ सोसाइटी की उप-विधियों सहित रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन की प्रति होगी;

(ख) संस्था किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के किसी निकाय के लाभ के लिए नहीं चलायी जा रही है;

(ग) संस्था ने दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्य कताओं का ध्यान रखने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् से रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों को नियोजित किया है;

(घ) संस्था के पास दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त शिक्षण और अधिगम सामग्री है; और

(ङ) संस्था ने उसके पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखाओं और वार्षिक रिपोर्टों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और उक्त संपरीक्षित लेखाओं और वार्षिक रिपोर्टों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्तियां अन्तर्विष्ट नहीं हैं।

(5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निदेशक, विशेष योग्यजन द्वारा प्ररूप-ख में जारी किया जायेगा। निदेशक, विशेष योग्यजन द्वारा इस प्रकार जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जब तक अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिसंहृत नहीं किया गया है, उस तारीख को और से, जिसको वह मंजूर किया जाता है, पांच वर्ष की काला वधि या, यथास्थिति, उस तारीख से जब यह नवीकृत किया गया है, दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के पूर्व प्रमाणपत्र और अभिकथन कि आवेदक इस प्रकार संलग्न प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा है के साथ, उसी रीति में किया जायेगा जैसाकि उप-नियम (2) के अधीन प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए आवेदन किया गया था:

परन्तु ऐसा आवेदन, ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के अवसान से साठ दिवस के पूर्व किया जायेगा:-

परन्तु यह और कि निदेशक, विशेष योग्यजन, साठ दिवस के पश्चात भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण हैं।

(7) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन उप-नियम (6) के परंतुक में यथा विर्निष्ट उसके अवसान के पूर्व किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक लगातार प्रवृत्त रहेगा जब तक आवेदन पर आदेश पारित न हो और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अवसित समझा जायेगा यदि उसके नवीकरण के लिए आवेदन उक्त परन्तुक में यथा विर्निदिष्ट साठ दिवस के भीतर नहीं किया गया है।

(8) उप-नियम (2) या उप-नियम (6) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन का, जिसमें उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निदेशक, विशेष योग्यजन का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम और इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए अपेक्षाओं का पालन किया गया है, तत्पश्चात् नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर उसके द्वारा निपटारा किया जायेगा।

8. प्रमाणपत्र की मंजूरी से इंकार का आदेश.- निदेशक, विशेष योग्यजन, आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् यदि उसका समाधान नहीं होता है तो प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार करने वाला आदेश दे सकेगा। ऐसे आदेश में ऐसे प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार करने के विनिर्दिष्ट कारण अंतर्विष्ट होंगे और रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को संसूचित किये जायेंगे।

9. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.- निदेशक, विशेष योग्यजन के धारा 51 की उप-धारा (1) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण के निर्दिष्ट आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, आदेश के विरुद्ध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रभारी सचिव को अपील कर सकेगा जो मामले में ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश करेगा जो वह उचित समझे।

अध्याय-5

दिव्यांगता के प्रमाणपत्र के संबंध में अपील

10. दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.- (1) दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति विनिश्चय की तारीख से 90 दिवस के भीतर जिला कलक्टर को निम्नलिखित रीति में अपील कर सकेगा:-

(क) अपील में अपील करने की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और आधार अंतर्विष्ट होंगे; और

(ख) अपील के साथ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र या अस्वीकृति के पत्र की एक प्रति होगी:

परन्तु जहां कोई दिव्यांगजन अवयस्क हो या किसी ऐसी दिव्यांगता से ग्रसित हो, जो उसे ऐसी अपील स्वयं करने के लिए अनुपयुक्त बना ती हो तो, उसके निमित्त अपील उसके विधिक या, यथास्थिति, सीमित संरक्षक के द्वारा की जा सकेगी।

(2) ऐसी अपील की प्राप्ति पर, जिला कलक्टर अपीलार्थी को उसका मामला प्रस्तुत करने का अवसर देगा और तत्पश्चात् कारणों सहित और ब्यौरेवार ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचि त समझे।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्र और अपील प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की कालावधि के अपश्चात् विनिश्चित की जायेगी।

अध्याय–6

राज्य सलाहकार बोर्ड और जिला स्तर समिति

11. राज्य सला हकार बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्ते.- (1) राज्य की राजधानी के बाहर निवास करने वाले, राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को, उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता, राज्य सरकार के प्रवर्ग ख या समकक्ष अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर संदत्त किया जायेगा:

परन्तु राज्य विधानमण्डल के सदस्य के मामले में, जो राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी है, राज्य विधानमण्डल के सदस्य के रूप में उसे अनुज्ञेय दर पर दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता संदत्त किया जायेगा।

12. बैठक की सूचना.- (1) अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें सामान्यत: राज्य की राजधानी में, ऐसी तारीखों पर जो इसके अध्यक्ष द्वारा नियत की जायें, आयोजित की जायेंगी:

परन्तु प्रत्येक छ: मास में कम से कम इसकी एक बैठक होगी। अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड के कम से कम दस सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बैठक बुलायेगा।

(2) बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों को किसी साधारण बैठक का सात कार्य दिवस की सूचना और विशेष बैठक का पांच कार्य दिवस की सूचना, जिसमें समय और स्थान जहां बैठक होनी है और उसकी कार्यसूची विनिर्दिष्ट हो, दी जायेगी।

(3) बोर्ड के सदस्यों को बैठक की सूचना, संदेशवाहक द्वारा उसे परिदत्त करवाकर या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उनके संबंधित अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय के स्थान पर भिजवाकर या ई-मेल द्वारा या ऐसी अन्य रीति से, जो बोर्ड का अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, दी जा सकेगी।

(4) जब तक कि बोर्ड का अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से ऐसा करने की अनुज्ञा न दे, बोर्ड का कोई भी सदस्य बैठक में किसी ऐसे मामले को विचार करने के लिए अग्रेषित नहीं करेगा जिसकी उसने बोर्ड के सदस्य सचिव को पांच कार्य दिवस की सूचना न दी हो।

(5) बोर्ड दिन-प्रतिदिन या किसी विशिष्ट दिन के लिए अपनी बैठक को निम्नानुसार स्थगित कर सकेगा,-

(क) जहां बोर्ड की बैठक दिन-प्रतिदिन के लिए स्थगित की जाती है तो ऐसी स्थगित बैठक की सूचना उस स्थान, जहां आयोजित की जाने वाली बैठक स्थगित हो गई है, पर बोर्ड के उपस्थित सदस्यों को दी जायेगी और शेष सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा; और

(ख) जहां बोर्ड की बैठक दिन-प्रतिदिन के लिए नहीं किन्तु उस दिन जिस दिन बैठक आयोजित की जानी है, से किसी अन्य तारीख को स्थगित की जाती है, वहां ऐसी बैठक की सूचना उप-नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में बोर्ड के सभी सदस्यों को दी जायेगी।

13. पीठासीन अधिकारी.- बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा किन्तु जब बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही किसी बैठक से अनुपस्थित हों तो बोर्ड के उपस्थित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

14. गणपूर्ति.- (1) बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(2) यदि किसी बैठक के लिए नियत समय पर या किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम उपस्थित हैं, उसका अध्यक्ष बैठक को ऐसे समय के लिए आगामी या भविष्य की किसी अन्य तारीख, जो वह नियत करे, के लिए स्थगित कर सकेगा।

(3) बोर्ड की स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) किसी ऐसे मामले पर, जो बोर्ड की साधारण या, यथास्थिति, विशेष बैठक की कार्यसूची में नहीं था, ऐसी स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जायेगी।

(5) (क) जहां बोर्ड की बैठक उप-नियम (2) के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिवस तक स्थगित की जाती है तो ऐसी स्थगित बैठक की सूचना उस स्थान पर, जहां आयोजित की जाने वाली बैठक स्थगित हो गई है, बोर्ड के उपस्थित सदस्यों को दी जायेगी और अन्य सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा; और

(ख) जहां उप-नियम (2) के अधीन बोर्ड की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में आगामी किन्तु पर्याप्त अंतराल की तारीख तक स्थगित की जाती है तो ऐसी स्थगित बैठक की सूचना बोर्ड के सभी सदस्यों को नियम 12 के उप-नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में दी जायेगी।

15. कार्यवृत्त.- (1) बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा बोर्ड के उन सभी सदस्यों के नामों का जो बोर्ड की बैठक में उपस्थित थे और बैठक की कार्यवाहियों का इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में अभिलेख रखा जायेगा।

(2) बोर्ड की पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के प्रारंभ मे पढ़े जायेंगे और ऐसी बैठक मे पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्ट और हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

(3) कार्यवाहियां, कार्यालय समय के दौरान बोर्ड के सदस्य-सचिव के कार्यालय में बोर्ड के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

16. बैठक में संव्यवहृत किये जाने वाले कार्य.- पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय कोई कार्य, जो कार्यसूची में प्रविष्ट नहीं किया गया है या जिसकी नियम 12 के उप-नियम (3) के अधीन सदस्य द्वारा सूचना नहीं दी गई है, बोर्ड की किसी बैठक में संव्यवहृत नहीं किया जायेगा।

17. राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक के लिए कार्यसूची.- (1) जब तक कि पीठसीन अधिकारी की अनुज्ञा से बैठक में अन्यथा संकल्प न लिया गया हो, बोर्ड की किसी बैठक में कार्य उसी क्रम में संव्यवहृत किया जायेगा जिसमें उसे कार्यसूची में प्रविष्ट किया गया है:

परन्तु या तो बोर्ड की बैठक के प्रारंभ में या बैठक के दौरान प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के निष्कर्ष के पश्चात् पीठासीन अधिकारी या बोर्ड का सदस्य कार्यसूची में प्रविष्ट कार्य के क्रम परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा और यदि बोर्ड का अध्यक्ष सहमत होता है, तो ऐसा परिवर्तन किया जायेगा।

18. बहुमत द्वारा विनिश्चय.- बोर्ड की बैठक में विचार किये गये समस्त प्रश्न, बोर्ड के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों के समान होने की दशा में, बोर्ड का अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड का उपाध्यक्ष या, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों की अनु पस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

19. रिक्ति या किसी त्रुटि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना.- बोर्ड की कोई भी कार्यवाही, बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि या किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

20. सहायता और जागरुकता के सृजन के लिए जिला स्तर समिति.- (1) जिला स्तर समिति दिव्यांगजनों को उनके विधिक सामर्थ्य का प्रयोग करने में सहायता करने के लिए समुदाय को गतिशील करेगी और सामाजिक जागरुकता का सृजन करेगी।

(2) जिला स्तर समिति संस्थानों में रहने वाले और अधिक सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों द्वारा विधिक सामर्थ्य के प्रयोग हेतु युक्तियुक्त सहायक व्यवस्थाओं के स्थापन के लिए उपाय और कोई अन्य उपाय, जो भी अपेक्षित हों, करेगी।

21. जिला स्तर समिति.- (1) अधिनियम की धारा 72 में निर्दिष्ट जिला स्तर दिव्यांगता समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी, -

(i)	जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	-	अध्यक्ष;
(ii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	-	सदस्य;
(iii)	जिले का लोक अभियोजक	-	सदस्य;
(iv)	किसी रजिस्ट्रीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य;
(v)	कोई दिव्यांगजन	-	सदस्य;
(vi)	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु कार्य करने वाला जिला अधिकारी	-	सदस्य-सचिव।

(2) अध्यक्ष किसी अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा।

22. समिति के कृत्य.- जिला स्तर दिव्यांगता समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

(क) दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर जिला प्राधिकारियों को परामर्श देना।

(ख) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन को मॉनीटर करना।

(ग) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला प्राधिकारियों को सहायता करना।

(घ) जिला प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के उपबंधों के नहीं किये जाने से संबंधित शिकायतों को देखना और ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना।

(ङ) अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (4) के अधीन जिला स्तर स्थापनों द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित सरकारी स्थापनों के कर्मचारियों द्वारा की गई अपील देखना और समुचित उपायों की सिफारिश करना।

(च) ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जायें।

अध्याय-7
दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त

23. राज्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए अर्हता.- कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के अधीन दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के लिए तब ही अर्हित होगा, जबकि,-

(i) वह दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो;

(ii) वह उस वर्ष, जिसमें राज्य आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख दी गयी थी, की 1 जनवरी को 65 वर्ष तक की आयु का हो;

(iii) वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवारत है, तो पद पर नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति ले लेता है; और

(iv) उसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:-

(क) शैक्षिक अर्हताएं:

(i) आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक;

(ii) वांछनीय: सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/विधि/प्रबंध/मानव अधिकार/दिव्यांगजनों के पुनर्वास/ शिक्षा में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री।

(ख) अनुभव:

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष का कार्य अनुभव, या

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वशासी निकायों में कम से कम दस वर्ष का कार्य अनुभव, या

(iii) दिव्यांगता या पुर्नवास के क्षेत्र में कार्य करने वाले रजिस्ट्रीकृत राज्य या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठन में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ स्तर के कृत्यकारी की हैसियत में कार्य करता हो:

परन्तु इस उप-खण्ड में उल्लिखित कुल दस वर्ष के अनुभव में से, हाल ही के विगत कम से कम तीन वर्षों का अनुभव दिव्यांगजनों के क्षेत्र या उनके सशक्तिकरण में रहा हो।

24. राज्य आयुक्त की नियुक्ति की रीति.- (1) राज्य आयुक्त का पद रिक्त होने से कम से कम छह मास पूर्व, नियम 23 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु, कम से कम दो राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दैनिक समाचारपत्रों, एक अंग्रेजी और दूसरा हिन्दी भाषा में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा, राज्य आयुक्त के पद के लिए तीन उपयुक्त अभ्यर्थियों के पैनल की इसको सिफारिश करने के लिए, एक तलाश-एवं-चयन समिति गठित की जायेगी। तलाश-एवं-चयन समिति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विभाग के सचिवों से मिलकर बनेगी।

(3) उप-नियम (2) मे निर्दिष्ट चयन समिति की संरचना राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत अनुदेशों द्वारा शासित होगी।

(4) उप-नियम (2) के अधीन चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया पैनल, उन व्यक्तियों, जिन्होंने उप-नियम (1) के अधीन किये गये विज्ञापन की अनुक्रिया में आवेदन किया हो, साथ ही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियोजन में अन्य रजामंद पात्र व्यक्तियों जिन्हें समिति उपयुक्त समझे, से मिलकर बनेगा।

(5) राज्य सरकार चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में के अभ्यर्थियों में से किसी एक को राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

25. राज्य आयुक्त की अवधि.- (1) राज्य आयुक्त उस तारीख, जिसको वह पदधारण करता है, से तीन वर्ष की कालावधि या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति, 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्याधीन रहते हुए, अधिकतम दो अवधि के लिए राज्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकेगा।

26. राज्य आयुक्त का वेतन और भत्ते.- (1) राज्य आयुक्त का वेतन और भत्ते राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्तों के समान होंगे।

(2) जहां राज्य आयुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां इन नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय वेतन को पेंशन की रकम तक और यदि उसने पेंशन के बदले उसका कोई भाग प्राप्त हो रहा है तो उसका संराशित मूल्य पेंशन के ऐसे संराशित भाग की रकम तक घटाया जायेगा।

27. राज्य आयुक्त की सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन.- राज्य आयुक्त की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जो नीचे यथा विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात्:-

(क) छुट्टी:

राज्य आयुक्त ऐसी छुट्टी के लिए हकदार होगा जो राजस्थान सेवा नियमों के अधीन राज्य सेवा अधिकारियों को अनुज्ञेय है:

परन्तु पुन:नियोजित अधिकारी, पुन:नियोजन की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात् भी उपार्जित अवकाश को भुनाने का हकदार नहीं होगा।

(ख) छुट्टी यात्रा रियायत:

राज्य आयुक्त छुट्टी यात्रा रियायत के लिए हकदार नहीं होगा।

(ग) चिकित्सा फायदे:

राज्य आयुक्त, 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त राज्य सेवा अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय मेडिक्लेम सुविधा का हकदार होगा। मेडिक्लेम बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा जमा किया जायेगा।

28. त्यागपत्र और हटाया जाना.- (1) राज्य आयुक्त, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयुक्त को उसके पद से हटा देगी, यदि वह,-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, उसके पद के कर्त्तव्यों से बाहर किसी वैतनिक नियोजन या क्रियाकलाप में लगता है;

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(घ) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या अधिनियम में यथाअधिकथित उसके कृत्यों के पालन में गंभीर व्यतिक्रम के कारण पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ङ) राज्य सरकार से अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त किए बिना, पन्द्रह दिवस या अधिक की अनुक्रमिक काला वधि के लिए कार्य से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में, राज्य आयुक्त के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि उसका पद पर बने रहना दिव्यांगजनों के हित के लिए हानिकारक है:

(छ) परन्तु इस नियम के अधीन, किसी राज्य आयुक्त को, राज्य सरकार के प्रवर्ग 'क' के अधिकारी को हटाए जाने के लिए लागू प्रक्रिया का, यथावश्यक परिवर्तन सहित, का पालन किए बिना, उसके पद से नहीं हटाया जायेगा।

(3) राज्य सरकार किसी राज्य आयुक्त को, जिसके संबंध में उप-नियम (2) के अनुसार उसे हटाये जाने के लिए कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई हैं और ऐसी कार्यवाहियों पर निष्कर्ष लंबित हैं, निलंबित कर सकेगी।

29. अवशिष्ट उपबंध.- राज्य आयुक्त की सेवा की अन्य शर्तें जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, राज्य सरकार के तत्समय लागू नियमों या आदेशों द्वारा अवधारित की जायेंगी।

30. सलाहकार समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के पांच समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला होगी, से मिलकर बनने वाली एक सलाहकार समिति नियुक्त करेगी।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी और सदस्य पुन:नामनिर्देशन के पात्र नहीं होंगे।

(3) राज्य आयुक्त आवश्यकता के अनुसार विषय-वस्तु या डोमेन विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा, जो बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करेगा।

(4) राज्य की राजधानी में निवास नहीं करने वाले सलाहकार समिति के अशासकीय सदस्यों को, राज्य सरकार के प्रवर्ग ख या समकक्ष अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर, वास्तविक बैठक के प्रत्ये क दिन के लिए दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता सदंत्त किया जायेगा।

31. राज्य आयुक्त द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.- (1) कोई व्यथित व्यक्ति निम्नलिखित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए कोई परिवाद व्यक्तिगत रूप से या अपने किसी अभिकर्ता के माध्यम से राज्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा या उसे राज्य आयुक्त को संबोधित करते हुए रजिस्ट्रीकृत डाक या ई-मेल द्वारा भेज सकेगा, अर्थात् :-

(क) व्यथित व्यक्ति का नाम, विवरण और पता;

(ख) विरोधी पक्षकार या, यथास्थिति, पक्षकारों के नाम, विवरण और पता, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके;

(ग) परिवाद से संबंधित तथ्य और वह कब और कहां उद्भूत हुआ;

(घ) परिवाद में अं तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज; और

(ङ) वह अनुतोष जिसका व्यथित व्यक्ति दावा करता है;

(2) राज्य आयुक्त किसी परिवाद की प्राप्ति पर परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को परिवाद की एक प्रति देते हुए उन्हें निर्दिष्ट करेगा कि वे तीस दिवस या पंद्रह दिवस से अनधिक की ऐसी विस्तारित कालावधि के भीतर जो राज्य आयुक्त द्वारा मंजूर की जाये, अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

(3)पक्षकार या उनके अभिकर्ता, सुनवाई की तारीख पर या ऐसी अन्य तारीख पर जिसको सुनवाई स्थगित की जाती है, राज्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे।

(4) जहां व्यथित व्यक्ति या उसका अभिकर्ता ऐसी तारीखों को राज्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां राज्य आयुक्त या तो व्यतिक्रम पर परिवाद को खारिज कर सकेगा या गुणागुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकेगा।

(5) जहां विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां राज्य आयुक्त अधिनियम की धारा 82 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा, जिसे वह विरोधी पक्षकार को समन करने और हाजिर कराने के लिए आवश्यक समझता है।

(6) राज्य आयुक्त, यदि आवश्यक हो, परिवाद का एकपक्षीय रूप से निपटारा कर सकेगा।

(7) राज्य आयुक्त ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह उचित समझे, और कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई स्थगित कर सकेगा।

(8) राज्य आयुक्त यथासंभव, विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर परिवाद का विनिश्चय करेगा।

32. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना.- (1) राज्य आयुक्त, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथासंभव शीघ्र, किन्तु आगामी वर्ष की तीस सितम्बर के पश्चात् नहीं, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट विशिष्ट रूप से, ऐसे प्ररूप में होगी जिससे कि पृथक् मामलों का ब्यौरा पृथक् शीर्षों के अधीन उपबंधित किया जा सके, अन्य बातों के साथ साथ इसमें निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात्:-

(क) राज्य आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और संगठनात्मक स्थापन को दर्शित करने वाला एक चार्ट;

(ख) कृत्य जिनके लिए राज्य आयुक्त को अधिनियम के अधीन सशक्त किया गया है और इस संबंध में उसके संपादन की मुख्य बातें;

(ग) राज्य आयुक्त द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें;

(घ) राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति; और

(ङ) कोई अन्य मामला, जिसे राज्य आयुक्त द्वारा सम्मिलित किया जाना समुचित समझा जाये या जिसे रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

अध्याय-8

लोक अभियोजक

33. विशेष लोक अभियोजक की फीस और पारिश्रमिक.- अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की फीस और अन्य पारिश्रमिक वही होंगे जो सेशन न्यायालय के समक्ष मामलों के संचालन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये लोक अभियोजक के हैं।

अध्याय-9

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

34. दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि और उसका प्रबंध.- (1) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि, जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य निधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, में निम्नलिखित जमा किया जायेगा:-

(क) अनुदान, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त समस्त राशियां;

(ख) सहायता अनुदान को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त समस्त राशियां; और

(ग) ऐसे अन्य स्रोत, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें, से प्राप्त समस्त राशियां।

(2) राज्य निधि का प्रबंध निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बने एक शासकीय निकाय द्वारा किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) प्रभारी-सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान -अध्यक्ष;

(ख) अंग्रेजी के वर्णक्रम में चक्रानुक्रम से वित्त विभाग, राजस्थान, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान से दो ऐसे प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक से कम के न हों। -सदस्य;

(ग) चक्रानुक्रम द्वारा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति। -सदस्य;

(घ) निदेशक, विशेष योग्यजन -संयोजक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(3) शासकीय निकाय जब भी आवश्यक हो, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, बैठक करेगा।

(4) नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष से अनधिक के लिए कार्यालय धारित करेंगे।

(5) शासकीय निकाय का कोई सदस्य ऐसे सदस्य द्वारा धारित पद की कालावधि के दौरान निधि का हितधारक नहीं होगा।

(6) नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य, शासकीय निकाय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार के प्रवर्ग 'ख' अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते के संदाय के पात्र होंगे।

(7) कोई व्यक्ति शासकीय निकाय के किसी सदस्य के रूप में उप-नियम 2 के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा यदि वह,-

(क) किसी ऐसे अपराध से दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ख) दिवालिया है या किसी समय दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णि त किया गया है।

35. राज्य निधि का उपयोग.- (1) राज्य निधि का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) विभिन्न निगमित संगठनों से उनके निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) प्रवृत्तियों के भाग के रूप में प्राप्त संदान या संस्थागत दाता के साथ सहयोग सहकार्यता में विशेष कौशल के प्रति दिव्यांगजनों के पुनर्वास और कल्याण हेतु दान के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता और ऐसी निधियों का आकस्मिकता निधि के रूप में प्रयोग;

(ख) राज्य में चल रहे मानसिक चिकित्सालयों और विशेष विद्यालयों में विशेषरूप से प्रशिक्षित/प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;

(ग) विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा सामान्य जनता में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कर्तव्यों पर सामाजिक जागरुकता लाने के लिए;

(घ) दिव्यांगजनों के कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, निदेशन, परामर्श और सामाजिक उत्थान के कार्य करने के लिए;

(ङ) दिव्यांगजनों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके प्रयत्नों को सशक्त बनाने के लिए और समान अवसर, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान उपलब्ध करवाने के लिए;

(च) दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, जन सामान्य के मध्य समान सामाजिक उत्तरदायित्व और सहभागिता को समझाने के लिए;

(छ) दिव्यांगजनों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न नीतियों और स्कीमों को बनाने के लिए;

(ज) दिव्यांग महिलाओं और बालकों को उनके शोषण और दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण और सशक्तिकरण उपलब्ध करवाने के लिए;

(झ) लोक, लोक-निजी भागीदारी कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य करने के लिए;

(ञ) अधिनियम के उपबंधों के उद्देश्यों को प्राप्त करने और कार्यान्वयन के लिए;

(ट) उन क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार के किसी कार्यक्रम या स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से नहीं आते हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए;

(ठ) निधि के प्रशासनिक और अन्य व्यय जो इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा उपगत किए जाने आवश्यक हों; और

(ड) ऐसे अन्य प्रयोजन जो अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हों और जो शासकीय निकाय द्वारा विनिश्चित किया जायें।

(2) व्यय का प्रत्येक प्रस्ताव शासकीय निकाय के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

(3) शासकीय निकाय, आवश्यकताओं के आधार पर राज्य निधि के प्रबंध और उपयोग को देखने के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ जो वह उचित समझे, लेखाकार को सम्मिलित करते हुए सचिवीय कर्मचारिवृंद नियुक्त कर सकेगा।

(4) राज्य निधि का निवेश ऐसी रीति में किया जायेगा जो शासकीय निकाय द्वारा विनिश्चित की जाये।

36. बजट.- राज्य निधि का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक वर्ष जनवरी में, निधि की प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय दर्शित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य निधि के अधीन उपगत होने वाले व्यय के लिए बजट तैयार करेगा और उसे शासकीय निकाय के विचार के लिए रखेगा।

37. वार्षिक प्रतिवेदन और संपरीक्षा.- राज्य सरकार में निदेशक, विशेष योग्यजन, वार्षिक रिपोर्ट में राज्य निधि पर एक अध्याय सम्मिलित करेगा। राज्य निधि लेखाओं की संपरीक्षा राजस्थान के महालेखापरीक्षक द्वारा की जायेगी।

अध्याय-10

प्रकीर्ण

38. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त नियमों के निरसित होने पर भी, उक्त नियमों के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्समान उपबंधों के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी।

प्ररूप क

प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन

(नियम 7 देखिए)

1. आवेदक का नाम :
2. पता और दूरभाष संख्या :
3. (i) अधिनियम का नाम जिसके अधीन संस्थान पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है,
4. (i i) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
5. (कृपया फोटोप्रति संलग्न कीजिए)

6. संगम ज्ञापन और संस्थाओं की उप-विधियां :

7. (कृपया फोटोप्रति संलग्न कीजिए)

8. संस्था के प्रबंध बोर्ड / शासकीय निकाय के सदस्यों का नाम, पता, व्यवसाय और अन्य विशिष्टियां :

9. संस्थाओं के वर्तमान क्रियाकलाप :

10. संस्था की वर्तमान सदस्य-संख्या और प्रवर्गीकरण। संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची-

(क) पूर्ववर्ती वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति,

(ख) विगत दो वर्ष के लिए चार्टड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किये गये लेखा के संपरीक्षा कथन

(ग) संस्थाओं द्वारा नियोजित कर्मचारिवृंद का ब्यौरा।

(घ) संस्थाओं के ..... द्वारा हिताधिकारियों का ब्यौरा अन्तर्विष्ट किया जाना।

(ङ) यदि छात्रावास चलाया जा रहा है तो छात्रावास में रहने वालों की संख्या,

(च) क्या संस्थान अपने स्वयं के/ किराये के भवन में अवस्थित है।

(छ) (आवश्यक साक्ष्य संलग्न किया जाये)

11. नवीकरण के मामले में मूल प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा।

नाम :

पदनाम : आवेदक के हस्ताक्षर

पता :

दिनांक :

कार्यालय स्टांप :

प्ररूप ख

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

(नियम 7 देखिए)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, विशेष योग्यजन

क्रम सं. : दिनांक :

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अधीन ..... को निदेशक, विशेष योग्यजन द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। यह प्रमाणपत्र दिनांक ..... से ..... (पांच वर्ष के लिए) वैद्य है।

उपर्युक्त प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्रमाणपत्र की तारीख ..... की समाप्ति से 60 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।

निदेशक

विशेष योग्यजन

[संख्या एफ.1(9)स्था./नि.वि.यो./2018/17000]

राज्यपाल के आदेश से,

अखिल अरोरा,

प्रमुख शासन सचिव।

अखिल अरोरा,

प्रमुख शासन सचिव,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.